

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 जनवरी 2022—पौष 15, शक 1943

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2022

क्र. एफ-19-60-2004-बारह-1-पार्ट.—मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 (क्र. 7 सन् 2005) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो (साधारण रेत एवं बजरी को छोड़कर) में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के उत्खननपट्टा में धारित भूमि, जहां गौण खनिजों का उत्पादन हो रहा है, के वार्षिक मूल्य का 2 प्रतिशत, गौण खनिजधारी भूमि पर कर की दर नियत करती है.

No. F 19-60-2004-XII-1-part.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Gramin Avasanrachna Tatha Sadak Vikas Adhinyam, 2005 (No. 7 of 2005), the State Government, hereby, fix 2 percent rate of tax of annual value of minor mineral bearing land of quarry lease of the mineral specified in Schedule-I and Schedule-II (excluding ordinary sand and bajri) of Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996, where production of minor mineral being carried out.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव.